सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण संख्या 66/2022

1. महावीर पुत्र स्व0 रामप्यारी पुत्री रूपाराम पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. श्योचंद पुत्र स्व0 रामप्यारी पुत्री रूपाराम पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
3. पेम्मी देवी पुत्री स्व0 रामप्यारी पुत्री रूपाराम पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
4. नौजा देवी पुत्री स्व0 रामप्यारी पुत्री रूपाराम पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
5. मैना देवी पुत्री स्व0 रामप्यारी पुत्री रूपाराम पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
6. चन्दो देवी पुत्री स्व0 रूपाराम पत्नी इमरताराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 व जिला श्री गंगानगर जरिये मुख्तारआम सोहनलाल पुत्र इमरताराम।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिहनगर।
2. गुडडी देवी बेवा बनवारीलाल जाति जाट निवासी ठाकरी हाल बगीचा तह0 रायसिहंनगर जिला श्री गंगानगर।
3. सोमा देवी पुत्री बनवारी लाल जाति जाटर निवासी ठाकरी हाल बगीचा तहस0 रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
4. राजकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ठाकरी हाल बगीचा तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. प्रवीण कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ठाकरी हाल बगीचा तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. प्रियंका पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी ठाकरी हाल बगीचा तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. बादुदेवी पुत्री रूपाराम, पत्नी गिरधारीलाल जाति जाट निवासी बगीचा तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. मयंक कान्त पुत्र श्री राजकुमार सिंगल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड सं0 23, रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

उपस्थित :
1. श्री जगमोहन आहूजा, एडवोकेट, अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री बलकरण सिंह बराड़, एडवोकेट रेस्पोण्डेन्टस सं 04 व 08
3. श्री कुलवन्त सिंह संधू, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 7
4. रेस्पोण्डेन्टस सं 2, 3, 5, 6 की ओर से कोई हाजिर नहीं।

।। निर्णय ।। दिनांक: 18-05-2022

हस्तगत अपील प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील के राजस्व प्रकरणों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिए जाने फलस्वरूप अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 196 दिनांक 09.02.2022 द्वारा प्रकरण स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट सं. 1 ता 5 के नाना व 6 के पिता स्व0 रूपाराम पुत्र घेरूराम जाति जाट निवासी ठाकरी के नाम से चक 45 पीएस के मु0न0 119 के 25 बीघा, 108 के 15 बीघा व चक 42 एनपी के मु0न0 35 के 3 बीघा कुल 43 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। रूपाराम के देहान्त के बाद उसकी पत्नी सूरजा देवी व तीन पुत्रियां रामप्यारी, चन्दो देवी एवं बाधू देवी बहिस्सा बराबर की हकदार हुई । रेस्पोडेन्टस सं. 02 ता 05 के पूर्वज बनवारी लाल ने भूमि हडपने की नियत से अपने आप को रूपाराम का खोलायत पुत्र होने तथा कुछ रकबा की वसीयत होने व शेष रकबा पैतृक भूमि होने का कथन राजस्व वाद में पेश किया जो कम सं. 130/85 पर दर्ज हुआ । इस पर अपीलान्ट सं. 01 ता 5 के पूर्वज स्व0 रामप्यारी व अपीलान्ट सं. 06 के द्वारा पेश होकर कथन किया गया कि ना तो रूपाराम ने कभी बनवारी लाल को गोद लिया, न ही रूपाराम का खोलायत पुत्र है ना ही रूपाराम के देहान्त के बाद समाज में कोई कियाक्रम की रस्म पूरी की । रूपाराम ने दिनांक 19.04.1982 को वसीयत की थी तथा दिनांक 19.04.1982 को पूर्व की वसीयत को निरस्त कर दिया था, राजस्व वाद में दिनांक 07.08.1989 को निर्णय पारित किया जिसकी अपील संख्या 54/89 बनवारी लाल ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की जिसका निर्णय दिनांक 15.01.2002 को किया जाकर निर्णय दिनांक 07.08.1989 निरस्त करते हुए मामला रिमाण्ड कर दिया गया। रिमाण्ड होने पर बिना रामप्यारी व चन्दो देवी को सुने दिनांक 21.08.2007 को निर्णय पारित कर डिग्री जारी कर दी गई। राजस्व न्यायालय मे प्रार्थना अर्न्तगत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया जो 62/07 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 09.06.2019 को किया जाकर निर्णय व डिकी दिनांक 21-8-07 को निरस्त करने व दावा में आगामी कार्यवाही करने का आदेश दिया गया जिसपर दावा आज भी विचाराधीन है। इस प्रकार गलत व एकपक्षीय डिकी दिनांक 21-8-07 जो निरस्त हो चुकी है, के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 5 ने चुपचाप अपीलाधीन इंतकाल पारित करवा लिया। अपीलाधीन इंतकाल से पूर्व स्व0 रामप्यारी व चन्दोदेवी को न तो विधिवत् नोटिस जारी किया गया और न ही विधिवत् सुनवाई की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई है और न ही लैण्ड रेकार्ड रूल्स के आदेशात्मक

Scanned with CamScanner

प्रावधानों की पालना की गई है। दावा 88, 90ए, 92 आर टी एक्ट का पेश किया गया था जबकि निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2007 में विभाजन का प्रस्ताव मंगवाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। दावा धारा 53 आरटी एक्ट का ना होते हुए भी विभाजन का प्रस्ताव मंगवाने का गलत आदेश दिया गया। रेस्पोडेन्ट ने अपलीधीन इंतकाल के आधार पर अमलदरामद करवा कर रकबा मुनतकिल करने के प्रयास में है। रूपाराम ने बनवारीलाल को कभी गोद ही नहीं लिया तो उसका कोई हक व अधिकार रूपाराम की संपति में होने का प्रश्न ही नहीं था । दावा स्पष्ट तौर पर गलत किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने दावा में पारित निर्णय व डिक्री को मनसुख कर दिया है जिससे दावा के रोज की स्थिति आ गई है जो सन् 1985 में थी इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में, अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वर्णित किया गया है कि इंतकाल सं0 351 के कालम नं0 14 में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा जारी डिक्री दिनांक 21.8.07 के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने का अंकन किया है जबकि उपरोक्त डिक्री एकपक्षीय जारी करवाई हुई थी। जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का पेश किया गया जिसका निर्णय प्रकरण सं0 62/07 रामप्यारी बनाम बनवारी लाल आदि दिनांक 19–6–19 का किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 21–8–07 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन है तथा इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट पेश हो चुके हैं तथा पत्रावली को वाजवा नम्बर पर कायम किया जाकर प्रकरण सं0 130/85 सन् 2019 से चल रही है आगामी पेशी दिनांक 8–6–22 है। इंतकाल जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर पारित किया गया था, वह निर्णय व डिक्री निरस्त होकर पुनः विचाराधीन है। इंतकाल फिसकल एन्टरी है, स्वतः ही निरस्त हो जाता है। बनवारी लाल द्वारा जो दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसमें उसने केवल हिस्से की घोषणा का किया था ना कि विभाजन का किया था। विभाजन का प्रस्ताव मंगवाने का आदेश देने का प्रश्न ही नहीं था। अपीलाधीन इंतकाल से पूर्व स्व0 रामप्यारी व चन्दोदेवी जो प्रकरण में पक्षकार थी, को विधिवत् सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किये गये, न ही आपति सूचना जारी की गई, न ही आपति सूचना का प्रकाशन करवाया गया और न ही आपति सूचना पंचायत भवन अथवा सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया गया। अपीलाधीन भूमि का कब्जा भी अपीलान्टस के पास चला आ रहा है। नियमों की पालना नहीं की गई है और न ही भू राजस्व अधिनियम के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई है। समस्त कार्यवाही एकपक्षीय की गई है तथा एक ही रोज में समस्त कार्यवाही पूर्ण की गई है। रूपाराम ने बनवारी लाल को कभी गोद नहीं लिया है, उसका कोई हक व अधिकार रूपा राम की सम्पति में नहीं है। दावा स्पष्ट रूप से गलत किया तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर ने दावा में पारित निर्णय व डिक्री को मनसूख कर दिया है जिससे दावा के रोज की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

स्थिति आ गई है जो कि सन् 1985 में थी । इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जावे।

रेस्पो0 सं0 4 के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि राजकुमार के पिता स्व0 श्री बनवारी लाल को उनकी 14 वर्ष की आयु में रूपाराम पुत्र घेरूराम जाति जाट ने दिनांक 27–4–76 को पंजीकृत गोदनामा से गोद ले लिया था। बनवारी लाल के गोद जाने पर पूरा जीवन रूपाराम व उसकी पत्नी सुरजीदेवी के पास रहा और उनकी देखभाल सेवा चाकरी जीवन पर्यन्त करता रहा। रूपाराम के देहान्त के बाद उसकी धर्मपत्नी सुरजीदेवी दत्तक पुत्र बनवारी लाल, पुत्री रामप्यारी, पुत्री चन्दोदेवी और पुत्री बाधो देवी वारिसान हैं। रूपाराम द्वारा एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 27–4–76 को की गई जिसके अनुसार चक 45 पी एस के मु0 नं0 119 के 12बीघा व चक 42 एन पी के मु0 नं0 35 में 3 बीघा नहरी कृषि भूमि रेस्पो0 सं0 4 के पिता बनवारी लाल के हक में करवाई गई जिसका अंकन बनवारी लाल के नाम से राजस्व रेकार्ड में हुआ।रूपाराम का देहान्त काफी अर्सा पूर्व हो चुका है, तमाम रस्में बनवारी लाल द्वारा अदा की गई हैं। बनवारी लाल द्वारा एक वाद पत्र सहायक कलक्टर एवं उपजिलाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में अ0 धारा 88,90 व 90ए,92 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दायर किया गया। निर्णय दिनांक 7–8–89 द्वारा प्रत्येक का 1/5 हिस्सा की घोषणा की गई। निर्णय दिनांक 7–8–89 के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील पेश की गई। दिनांक 15–1–2002 द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–8–89 को खारिज कर प्रकरण वास्ते सुनवाई वाद पत्र के पैरा सं0 7 के अनुसार विवेचन के सन्दर्भ में रिमाण्ड किया गया। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 21–8–07 को रिमाण्ड आदेश के आधार पर प्रकरण का निर्णय दिनांक 21–8–2007 को गुणावगुण पर किया जाकर रूपाराम की वसीयत दिनांक 27–4–76 के अलावा शेष बचे रकबे में से प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादीगण को चक 45 पी एस के 28 बीघा का 1/5 हिस्सा प्रत्येक को खातेदार घोषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी के आदेश एवं डिक्री दिनांक 21–8–07 के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल सं0 351 दिनांक 23–10–2007 को दर्ज हुआ जिसके आधार पर सुरजीदेवी, रामप्यारी, चन्दोदेवी, बाधोदेवी एवं मृतक बनवारी लाल के वारिसान का 1/5 हिस्सा दर्ज हुआ। अपीलाधीन इंतकाल दर्ज होने के बाद रामप्यारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27–11–07 को पेश किया गया जिसपर दिनांक 19–6–19 को निर्णय पारित कर दिनांक 21–8–2007 को पारित डिक्री को निरस्त कर दिया गया और दावा वाजवा नम्बर पर दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 4 द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी पेश की गई, जो एडमिट होकर रेकार्ड तलब किया गया है। वाद पत्र की पत्रावली मा0 राजस्व मण्डल को भिजवाई जा चुकी है। इसी दौरान रामप्यारी का देहान्त हो गया जिसका 1/5 हिस्से का इंतकाल अपीलांट सं0 1 से 5 के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ। रामप्यारी का हिस्सा विरासतन प्राप्त होने पर अपीलांटस ने जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 2–7–20 को हरमीतसिंह से पूरा प्रतिफल लेकर बेचान कर दिया है और उस हिस्से का कब्जा खरीददार को सौंप दिया है। अपीलांटस के पास अब कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है और न ही भौतिक रूप से उनका कोई कब्जा है। हरमीतसिंह द्वारा खरीदशुदा भूमि को जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 16–7–21 को मयंक कान्त पुत्र राजकुमार सिंगल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

को विक्रय कर दिया है और वर्तमान में मौका पर मयंक कान्त का कब्जा काश्त है। सुरजादेवी द्वारा अपने हिस्से 1/5 की दस्तबदारी दिनांक 26–10–07 को अपने दत्तक पुत्र बनवारी लाल के पक्ष में करवा दी गई जिसका राजस्व रेकार्ड में इंतकाल हो चुका है। अपीलांटास को अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि अपने हिस्से की तमाम कृषि भूमि का बेचान पहले ही कर चुके हैं। इंतकाल एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है, जिससे किसी भी पक्षकार को अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जाता है तो बिना वजह पक्षकारों के मध्य विवाद और बढेगा। अपीलांटस द्वारा पंजीकृत गोदनामा को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है। बनवारी लाल के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 27–4–76 आज तक किसी भी न्यायालय से निरस्त नहीं हुई है। वसीयत के आधार पर किये गये इंतकालों की कोई भी अपील नहीं की गई है जो आज भी प्रभावी है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील खारिज की जावे।

रेस्पो0 सं0 8 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में कथन किया है कि रेस्पो0 सं0 8 के नाम से चक 45 पी एस के खाता सं0 92/81 के प. स. 218/302 मु0 नं0 19, प0सं0 219/301 मु0 नं0 10 में 1.202 है0 कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त रकबा रेस्पो0 सं0 1 द्वारा खातेदार हरमीतसिंह से जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 16–7–21 को पूरा प्रतिफल देकर खरीद किया था। बैयनामा का इंतकाल सं0 608 दिनांक 19–7–21 को रेस्पो0 सं0 8 के नाम से दर्ज हो चुका है। रेस्पो0 सं0 8 उक्त कृषि भूमि का खातेदार व कब्जा काश्त है। पूर्व में उक्त भूमि रूपाराम के नाम से दर्ज थी। शेष तथ्य रेस्पो0 स04 की लिखित बहस में जो दर्ज किये गये है, उन्हें दोहराया गया है। अपीलांटस सं0 1 से 5 को इस बात का ज्ञान होते हुए रामप्यारी से प्राप्त 1/5 हिस्सा का बेचान हरमीतसिंह को किया जा चुका है उक्त विचाराधीन अपील में दिनांक 10–3–22 को रेकार्डेड खातेदारों के विरूद्व स्थगन आदेश जारी करवा लिया गया है। अपीलांटस न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नहीं आए हैं। माननीय उच्च न्यायालय एवं मा0 राजस्व मण्डल द्वारा अनेकों निर्णय पारित किए गए हैं कि न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन हो तो अपीलीय न्यायालय अपने समक्ष जेरकार कार्यवाही को वाद पत्र के निर्णय तक स्थगित कर पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर सकता है। अपील समयावधि में पेश नहीं की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। वकील अपीलान्टस ने निवेदन किया कि मियाद के बिन्दू का निस्तारण पूर्व में न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 10–3–2022 के आदेश से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की गई है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन इंतकाल सं0 351 दिनांक 23–10–2007 को हस्तगत अपील के माध्यम से चुनौति दी गई। अपीलाधीन इंतकाल डिक्री उप खण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर दिनांक 21–8–2007 के आधार पर खोला जाकर स्वीकृत किया गया है जिसके आधार पर सुरजीदेवी, रामप्यारी, चन्दोदेवी, बाधोदेवी एवं मृतक बनवारी लाल के वारिसान का 1/5 हिस्सा दर्ज हुआ। अपीलाधीन इंतकाल दर्ज होने के बाद रामप्यारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27–11–07 को पेश किया गया जिसपर दिनांक 19–6–19 को निर्णय पारित कर दिनांक 21–8–2007 को पारित डिक्री को निरस्त कर दिया गया और दावा बाजवा नम्बर पर दर्ज किया गया। चूंकि डिक्री दिनांक 21–08–2007 निरस्त हो चुकी है और प्रकरण पुनः बाजवा नम्बर पर दर्ज है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में 21–08–2007 की पूर्व की स्थिति बहाल हो गई है। जब मूल आदेश/डिक्री दिनांक 21–8–2007 निरस्त हो चुका है तो अपीलाधीन इंतकाल का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मेरे विन्रम मत में अपीलाधीन इंतकाल जिस आदेश/डिक्री के आधार पर स्वीकृत किया गया था, निरस्त हो जाने के कारण हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है। चूंकि वाद विचाराधीन है अन्य समस्त बिन्दू वाद के माध्यम से ही निस्तारित होगें।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 351 दिनांक 23–10–2007 निरस्त किया जाता है तथा डिक्री/आदेश दिनांक 21–8–2007 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड वापिस लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 27–5–22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर

Scanned with CamScanner